उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-34/2017/एस-2-1788/दस-2017-88क(10)/2017टी0सी0-।।

लखनऊ :: दिनॉक:: 24 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारी को प्रशासनिक आधार पर उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसायटीज एवं चिटस,वाराणसी।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बिजनौर।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- स्थानान्तरित अधिकारियों का जो भी अगले माह का वेतन होगा, वह उसकी पूर्व तैनाती के स्थान से आहरित नहीं होगा।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

<u>संख्या-34/2017/ एस-2-1788(1)/दस-2017,तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- जिलाधिकारी, बिजनौर/वाराणसी।

4- निबन्धक, फर्म्स सोसायटीज एवं चिटस, लखनऊ।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, वाराणसी/बिजनौर।

7- संबंधित अधिकारी ।

15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।